

R 357866

2 1 SEP 2010


्री जिलार प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ( प्रिंप हाउसिंग भूखण्ड के लिए किराया किश्त क्रय का अनुबन्ध

वृन्दावन योजना - तखनक

कमशः २ पर

सहायक जावसि आयुक्त वन्तवन योजना - लखनऊ

कावंदी:



R 35786

SEP 2010

(2)


मध्यम से होता है । एक पक्ष और मैसर्स ओमनी फमर्स प्राइवेट लि॰ द्वारा श्री टी॰के॰दीक्षित पुत्र स्व॰ श्री सी॰एस॰ दीक्षित पता निवासी—2्वा-A, अशोक एवन्यू,अशोक मार्ग,लखनऊ जिसे एतत्पश्चात किराया—किश्त केता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो , इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशितीऔर उसके न होने पर उसके उत्तराधिक री,निष्पादक,प्रशासक,विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है ,दूसरे पक्ष के बीच किया गया ।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आहूंटन योजना के अधीन किराया—किश्त केता ने स्वामी से किराया किश्त क्या योजना के अधीन एक व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवंदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तो पर किराया—किश्त केता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन कर्न के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

कमशः ३ पर

आबटी

सहार वर्ष अवितास आयुक्त वृन्दावन योजना - राव्यनक



R 357865

2 1 SEP 2010

(3)


औहर चूँकि किराया—किश्त केता ने रू० 7,93,60,991.00 (शब्दों में केवल रू० सात करोड़ तिरान्नबे लाख साठ हजार नौ सौ इक्यानबे मात्र) का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बयाना धनराशि समिलत है । अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि खामी एतत्द्वारा किराया—किश्त केता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया—किश्त भी एतदद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात ।

1- किरायां —िकश्त केता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में ,सम्पत्ति का जिसकी संख्या 9D/GH-1 है ओर जो वृन्दावन योजना संख्या—2 के भाग—2 लखनऊ में सेक्टर संख्या 9D में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची—एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्षित किया गया है,कब्जा दिया जायेगा।

कमशः ४ पर

1 Sieter

हडाः क **ओवीस** शायुक्त वृद्धावन योजना - लक्षनक



e: -R 357879

(4)

2 1 SEF 2010

2-किराया किश्त केता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नेलिखित शर्तों के अधिन 10 (दस) वर्ष की एक नियत अवधि है और जिसके प्रारम्भ का दिनांक विकास की शावित पत्र का दिनांक होगा।

(3) किरायाँ—किश्त—केता स्वामी की ओर किसी मांग के बिना किश्त क्य अवधि की समाप्ति तक प्रप्तेक मास के 01.09.2010 दिनांक प्रथम का केवल रू० 1,68,81,725.00 की मासिक / त्रैमासिक किश्त का भुगतान करेगा।

4. किराया किरत को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशों का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या खुज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू— स्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतानों करेगा । किराया—केता— स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर ब्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय— समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

onact

कमशः 5 पर

सहायक **आ**नुस्त आयुक्त दन्दावन गाजना - त**द**नक



1 4 OCT 201


(5)

परन्तु किराया-किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशैं। में स्वाामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बक्नाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

5. किराया—किश्त केता ऐसा कोई कार्य य ऐसी कोई बात नहीं करेगा य करने की अनुमति नहीं देगा जो स्वामी उसी कालोनी में या पडोस मे या अन्य सम्पत्ति के अध्यासियों की राय में लोककन्टक हो और उसे प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योधीना बनायी गयी है।

क्रमशः ६ पर

वृन्दावन म्हेर्नना - तावनक



(6)

7. किसूया किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य ब्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइए— लाइन, सीवर लाइन ह्या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगने के प्रयोजन के साथ—साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सहुपत्ति को जोडने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

कमशः 7 पर

् अवदी

सहादक अविकि आयुक्त वृन्दायन योजना - तवनक

6

į

Ē



(7)

14 OCT 2010


8 किराया-किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्वानुमित के <mark>भवना स्वीहर प्रा</mark>विद्धारी .को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्तु सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या पक्रिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा । परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर संकता है और उस निमित उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अर् किराया— किश्त केता , स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा , उक्त सम्पत्ति कें सम्पूर्ण या किसी भाग का विकय ,अन्तरण,समनुदेशन नहीं करेगा या क्रॅंबजे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण स्मन्देशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और येथास्थिति अन्तरिती या समन्देशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तो से औंबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा

क्रमशः 8 पर

सहायक **आवीस-आयुक्त** वृन्दायम् योजना - लखनऊ



P 005788

#@ AUG 2010

अव्योग क्षेत्र

(8)

परम्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समुनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होना जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा ब्यक्ति है जो योजना में यथा उपनिधत पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो ।

10.किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अर्जुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन

11.किरायाँ—किश्त केता इस योजना के अधीन उसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तर दायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अंग समझे जायेगे और इनके बार्ष में इस अनुबन्ध पत्र के पक्ष्कारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

अपटा अपटा

कमशः 9 पर

सहायको आयुक्त बन्दावन बीजना - ग्रंडनंज



2345

(9)

12 किराया किश्त केता किसी भी स्तर पर किन्हीं कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत उसका स्वरूप और उसकी स्थिति उसक लिये अपनायी गयी विशिष्टया प्रयुक्त सामग्री और कारीगरी संरचना की स्थिरता और ठिकाऊ पर आवास का प्रकार साज सामान और अधिष्ठापन और अन्य सुविधाओं के साथ—साथ एैसी अन्य सभी बाते भी उनसे उक्त सम्पत्ति बनी है स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ती के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगां जिससे आपत्तिया उठे या दावे प्रस्तुत किये जाये।

कुमशः 10 पर

अवही

सहायक स्त्रीचीम आयुक्त वन्दायन र्याजना - तखनऊ



Y 207146

(10)

13 किराया—किश्त केता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया—किश्त केता की मृत्यु का प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया—किश्त केता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा । इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया—किश्त केता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है ।

किन्तु किश्त केता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर केता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

कमशः 11 पर

अवदी -

सहायक सिर्विप्त आयुक्त वृन्यवन योजना - लखनऊ



Y 207147

(11)

14. किराया किश्त केता देयों का जिनका इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। पूरा और नियमित भुगतान करेगा। किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया—किश्त केता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से 21% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यतिकम होने की दशा में, यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और केता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू—राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से,जिसका विविध समर्थन करे,वसूल किया जा सकेगा।

क्रमशः 12 पर

आवेटी

त्रहायक क्रिक्टिन आयुवत वृन्दायन योजना - तखनक 15 .यदि किराया—िकश्त केता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षिति पहुचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया—िकश्त केता ऐसी क्षिति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्तसम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

16 .यदि किराया—किश्त केता किराया—किश्त क्य की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्दवारा स्वीकृत किरायेदारीं को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ—साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया—किश्त केता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

17 इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और आध्यकर होगा, किराया किश्त—केता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया—किश्त केता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा । और किराया—किश्त केता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा ।

18.स्वामी एतद्द्वारा सहमत है कि किराया—किश्त केता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

) lestitane आवंटी क्रमशः 13 पर

१ सहायक प्रमीतास आयुक्त वृन्दावन योजना - तखनऊ 19 स्वामी एतद्द्वारा किराया—किश्त केता को किराया—किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया— किश्त केता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

20-हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया—किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया — किश्त केता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया — किश्त केता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण—विलेख निष्पादित करेगा। निष्पादन और निबन्धन व्यय का वाहन किराया किश्त केता द्वारा किया जायेगा।

21- यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगे और किराया—िकश्त केता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक—पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा

22. इस अनुबन्ध में प्रवृत्त रहने के दौरान इस अनुबन्ध में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी,स्वामी को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशन सरकार,जीवन बीमा निगम और आवासएवं विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य अभिकरण या संगठन के पक्ष में उक्त सरकार, निगम अभिकरण या संगठन के विभिन्न आवासीय और

Maci.

सहायक गाँवास आयुक्त वृन्दावन योजना - तखनक ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए स्वामी द्वारा पहले ही प्राप्त किये गये या इस अनुबन्ध के निष्पादन के पश्चात प्राप्त किये जाने वाले ऋणों की प्रतिभूति के लिए बन्धक या प्रभार का सृजन करने का अधिकार होगा। किराया किश्त केता इस शर्त से सहमत है और ऐसे प्रभार के सम्बन्ध में कोई आपत्ति चाहें किसी प्रकार की हो, न उठाने का बचन देता है।

- 23. किराया किश्त केता आवंटन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।
- 24. प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के समक्ष प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।
- (1) फर्म ने भूखण्ड के कुल मूल्य के 07 प्रतिशत का स्टाम्प शुलक जिसे चालान संख्या G040038 दिनांक 15.10.2010 द्वारा आदा है। प्रमाण पत्र रूपया 65,00,000.00 ( रूपये पैसट लाख मात्र) मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ द्वारा स्टामप शुलक आदयगी हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2010 मूलरूप में किश्त किराये दारी अनुबन्ध के साथ संलग्न है।
- (2) फर्म ने भूखण्ड के कुल मूल्य के 07 प्रतिशत का स्टाम्प शुलक जिसे चालान संख्या G070038 दिनांक 24.09.2010 द्वारा आदा है। प्रमाण पत्र रूपया 2,93,000.00 ( रूपये दो करोड़ तिरान्नबे लाख मात्र) मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ द्वारा स्टामप शुलक आदयगी हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 12.04.2010 मूलरूप में किश्त किराये दारी अनुबन्ध के साथ संलग्न है।

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड—03 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 9D/GH-1 एवं भूमि का क्षेत्रफल 44,609.67 व०मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:

उत्तर संलग्न साइट प्लान के अनुसार पूर्व— 6.00 मीटर चौड़ी सड़क पूर्व संलग्न साइट प्लान के अनुसार दक्षिण— 18.00 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण संलग्न साइट प्लान के अनुसार पश्चिम— 24.00 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम संलग्न साइट प्लान के अनुसार कमशः 15 पर

16 golomb

हहायक् अर्थात आयुक्त वृन्दावन योजना - लखनऊ

इस किराया किश्त क्य अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री अनिल कुमार, सहायक आवास आयुक्त ने तथा आवटी मैसर्स ओमनी फमर्स प्राइवेट लि॰ द्वारा श्री टी॰के॰दीक्षित आशयिता 9D/GH-1 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये है।

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हरताक्षर : *नीविद्रोद्धी* 

2-नाम : I.H. statistu 3-पताः Did Kloor Eplece Corporate chember I vibhuti khandi Ballu साक्षी हस्ताक्षर

किराया किश्त केता का सुपाठ्य हस्ताक्षर और पता)

1-हस्ताक्षर : \ 📗 १००५

3-पताः 568K/31, korshapali 3-पताः-21-A, अशोक एवन्यू गवंदो Alembagh Luck non अशोक मार्ग,लखनऊ।

1— हस्ताक्षरः

-नाम:—मैसर्स ओमनी फमर्स प्रा०लि०

द्वारा टी०के०दीक्षित

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर:

2-नाम :

3-पता :

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर:

2-नाम :

3-पताः

वृन्दावन योजना - लखनऊ

कुमशः 16 पर

वृन्दावन योजना संख्या—2 भाग—2 लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 9D/GH-1, जिसमें कुल क्षेत्रफल 44609.67 वर्ग मीटर है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निर्धारित भूमि दर रू० 8500.00 एवं 24.00 मीटर चौड़ी सड़क पर कार्नर भूखण्ड होने की दशा में 35 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 2975.00 कुल रू० 11,475.00 प्रति वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्ड लखनऊ —रायबरेली मुख्य मार्ग से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। भूखण्ड में समाविष्ट भूखण्ड का क्षेत्रफल 44,609.67 वर्ग मीटर की मालियत रू० 51,18,95,964.00 है। परिषद द्वारा मालियत रू० 26,25,33,711.00 है, एवं जिलाधिकारी द्वारा मालियत रू० 51,18,95,964.00 जिसपर 7% की दर से रू० 3,58,32,800.00 के स्टाम्प पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा हैं।

### अनुसूची—तीन ( किराया—किश्त क्रय अनुबन्ध का अनुलग्नक ) किराया— किश्त क्रय के उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया किश्त केता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ—साथ उसके ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से और पृथक—पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) किराया किश्त केता अपने ग्रुप हाउसिंग भूखण्उ के कूड़े,रद्दी कागजों, बुहारन, रद्दी सामान और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कही अन्यत्र नही डालेगा।

आवंटीं

क्रमशः १७ पर

सहायक जित्रवास आयुक्त वृन्दावन योजना - लंखनक (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डाला जायेगा। नोट:— उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 9D/GH-1 का कुल मूल्य रू० 26,25,33,711.00 पर नियमानुसार 7% की दर से स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

EKTILETY ) 6-10-19

नामः—मैसर्स ओमनी फमर्स प्रा०लि० द्वारा श्री टी०के०दीक्षित शिलंडी प्ताः— 21-A, अशोक एवन्यू अशोक मार्ग,लखनऊ।

( अनिल कुमार ) सहायक अमिर्शस्त्राञ्चास्य कत महायक योजना - बख**नऊ** 

क्रमशः 18 पर



(18)

In pursuance of the order of the Collector No. 72

dated 12-04-20/0

passed under Section 10-A of the Stamp Act, It is certified that an amount of Rs. 2,93,00,000/- (Rupees Two Crore Ninety Three Lacs only) has been paid by Omni Farms Private Limited, as stamp duty in respect of this instrument in the State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow by Challan No. 9.976038 dated. 9.9-99-10 A copy of which is annexed herewith.

Dated: 27-09-10

आवंदों

Out

Chief Treasury Officer

भूजी जिय रंजन कुमार भुष्य कोषाधिकारी कलेक्टेट, कराज क

कुभराः १९५८

सहायक <mark>जिल्हास आयुक्त</mark> दृष्टावन यीजना - लखनऊ



(19)

In pursuance of the order of the Collector No.

72

dated -12-04-2010

AL 168124

21 SEP 2010

passed under Section 10-A of the Stamp Act, it is certified that an amount of ₹65,00,000/- (₹ Sixty Five Lacs Only) has been paid by Omni Forms Private Limited, as stamp duty in respect of this interment in the State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow by Challan No. 67040038 dated 15-10-10 . A copy of which is annexed herewith.

Dated: 18.1010

Ory

Chief Treasury officer Lucknow

18/10/10

प्रिय रंजन कुमार मुख्य कोषाधिकारी कलेक्टेट, लखनऊ

विद्याहर । विद्याहर ।

सहायक और अधिका वन्यवन योजना - तखनज

-		Q - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	3725	
	Tre The Continue of the Contin	1 - 1 -
	स्टाल विक्रम की तिथी	. •
	WANT TO THE PARTY OF THE PARTY	
- آمو ۽	स्थाम क्रोता का नाम व वृत्रा पता गानि हो। जिल्ला का नाम व वृत्रा पता गानि हो। जिल्ला का नाम व वृत्रा पता	
	Resemble of the Control of the Contr	
:	स्ताम की अन्याति	•
	प्रभा त्रिपाठी ला० के०-255	
	লা০ শা প্রাথমি 31-03-2011 किलेक्ट्रेट लखनऊ विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)	
11,895,964.00	76,360,991.00 10,000.00 40 10,040.00 2,000	
ू प्रतिफल	मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग	
श्रा पुत्र श्री	मे0आएमनी फ0 प्रा0लि0 द्वारा टी0 के0 दीक्षित	
पुत्र त्र। व्यवसाय नौकरी	स्व0 सी0 एस0 दीक्षित	
	21-ए अशोक एवन्यू अशोक मार्ग लखनऊ	Tozzer ,
ने यह लेखपत्र इस द	जर्यालय में दिनांक 20/10/2010 <sup>समय</sup> 5:20PM रजिस्टीकरण अधिकारी के हर	
वजे निवन्धन हेतु पेः	टक रक्ष देव कि का का कि का	ताक्षर ;
•	एी <b>भी</b> सिह उप निबन्धक (प्रथम)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	And the second s	Fy. W
ानव्यादन लखपत्र विक्रेता	वाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानसार उक्त लेखनऊ केना 20/10/2010	
	The state of the s	
इस बात से संतुष् श्री स्ता ४० स्मार	ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री मे0आएमनी फ0 प्रा0लि0 द्वारा टी0 के0 दीक्षित वि0 प0 द्वारा अनिल कुमार सहा0 आ0 आ0 पुत्र श्री स्व0 सी0 एसू0 दीक्षित	
ने अपने पद के अ	धिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति पेशा नौकरी	
और हस्ताक्षरों की	आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र विवासी 21-ए असीक एवन्यू असोक मार्ग लखनक लिए स्वीकार किया गया।	
		ANNAER SEEMS
ने निष्पादन स्वीकार जिनकी पहचान र्श्र		$\bigcirc$
	क्यूण एचण सिहीकी	
पेशा <u>नौकरी</u>		<u>.</u>
निवासी 538क	/613ज्ञिवेणी नगर -1 सीतापुररोड लखनऊ	
वश्री हर्र	मोहन योजनिश्चां आ0 वि0प0	ir i
पुत्र श्री		
पेशा <u>नौंकरी</u>		» ·
निवासी ने की !		
	रिज़स्ट्रीकरणा अधिकारी के ह	स्ताक्षर
- प्रत्यवातः मद्र वाद्यया	के निशान अंगूठे नियमानुसार तिये गये हैं।	
, ·	पी .के.सिह	
	उप निबन्धक (प्रथम)	
4	लखन <b>ऊ</b>	
	20/10/2010	•



: - 2440536(Off.).

## OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. - 3 (I.S.O.-9001:2000 CERTIFIED BOARD)

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD VRINDAVAN SCHEME No.-2, H.No. 2C/117,118 &119, RAI BEARILLY ROAD, LUCKNOW.

SITE PLAN OF PLOT/HOUSE No.9-D/GH-1 SECTOR-9-D AT VRINDAVAN YOJNA No.22 LUCKNOW. OWNER SRI. /SMT.

SIDE					
Sales P	<u>  </u>	BI	C	٧,	$\Delta V = \Delta$
LA	1.135.0	11160	262.4	271.00	CC/17-11-
ū	7.00	- 1100	202.0	_ L/1150	664/14
<u> </u>	767.0	18110	275.0	359:00	22818.27
<u>  C  </u>	27 <i>5</i> •01	136.01	205.0	270.00	777111
1		<u></u>		270,00	16644 26

18.0 M. W D. LESS- 50.0X 30.05500.00

NETAREA = 44,609.6750 M.

PLOT NO. 6. 750 M.

9-DIG-HAI

262.0M

NO. 262.0M



And

A.E. A.E.

सहायक आधार

- **নন্ত**নক/

11/11

क्रेता

Registration No.:

17353

Ycar:

2,010

Book No.:

मे0आएमनी फ0 प्रा0लि0 द्वारा टी0 के0 दीक्षित 0201 स्व0 सी0 एस0 दीक्षित 21-ए अशोक एवन्यू अशोक मार्ग लखनऊ नीकरी






1.13.


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / क्रेता का नाम व पता :- <u>भेसर्भ उन्तामनी फार्म्भ पाठालाध्ये द्वाराश्री टीठदे क दी श्</u>रीत 21-19 उनकाक क्रवन्य स्त्रक्षेत्र मार्ग लखनका



विक्रेता का नाम व पता :- श्री उन्हान शेला :- श्री उन्हान शेला :- श्री उन्हान शेला :- श्री उन्हान :- श्त :- श्री उन्हान :- श्री उन्हान :- श्री उन्हान :- श्री उन्हान :-

सहायक आवास आयुक्त/ सम्पत्ति प्रबन्धक



सहार्किने आवीस आयुक्त कुरावन योजना - लखनऊ

आज दिनांक 20/10/2010 वहीं सं 1 जिल्द सं पृष्ठ सं. <u>303</u> <u>348</u> ंपर कमांक

<u>17353</u>

ु- एस्पिस्द्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.सिह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ 20/10/2010 6162/16



1881881 INDIA NONSUDICIALS 188188

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH





CN 501 371

17353/10 35032700/= 2-4-16

विक्रय विलेख

यह विक्रंय विलेख आज दिनांक **०** । माह **००** वर्ष वर्ष की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित हैं।

क्रेल

**विक्रे**ता



दिनांक .....





आई एस ओ प्रमाणित सस्या

### कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या	/सं0प्र0 वृन्दावन योजना	दिनांक
सेवा में	करना है कि आपके पक्ष में आवाटत अपना नु \0.0 = <> के स्टाम्प पर त प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेर	निष्पादित कर दिया गया है जो कि जा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के
संलग्नक : उपरोक्तानुसार		
		वास आयुक्त विकास अध्युक्त
पु० स० 3796 / जन्म/	तद्दिनांक 01 2/16	,
प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।	वार्च	

एक पक्ष और मैसर्स ओमनी फार्म्स प्राइवेट लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह पता:—जिसका पंजीकृत कार्यालय 201—212, द्वितीय तल, स्पलेन्डर फोरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली—110025, कार्पोरेट आफिस— द्वितीय तल, एल्डिको कारपोरेट चेम्बर—प्रथम विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010 जिसके एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी,विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :—

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-2 भाग-2 नामक मुहल्ले के सेक्टर 9D में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या— 9D/GH-1 का व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 262533711.00 (रू० छब्बीस करोड़ पच्चींस लाख तैतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) जिसका आधा रू० 131266855.50 (रू० तेरह करोड़ बारह लाख छाछड हजार आठ सौ पचपन मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-9D/GH-1) को,जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलगन अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वैर्णित निबन्धन और शर्ती के अधीन कय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० 262533711.00 (रू० छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतदद्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 9D/GH-1) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छ्क केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विकिश और अन्तरित करती है:-

कमशः 3 पर

क्रेता उपक्र ,

ू विक्रेताः

- (1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विकय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- (2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- (3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को कब्जा पत्र प्रदंत्त किया जा चुका है।
- (4) इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसीं व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
- (5) यदि इच्छुक केता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पित्त या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक केता को युक्ति सुक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।
- (6) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्य किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय—समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किए जा रहे है :-
- (क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई द्वावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

क्रमशः ४ पर

क्रेता

वे विक्रेता

ने निप्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान

जागेश्वर द्विवेर्द

स्व0 एस0 आर0 द्विवेदी

पेशा नौकरी

-निवासी एमआईजी 23 से0 जी0 जानकीपुरम ळखनऊ

ਰ

मो0 एखलाक योजना सहा0 आ0 वि0 प0

पेशा नौकरी

निवासी

3/28/1100

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।






ुरजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एसे.बी.र्शिह उप<sup>(</sup>निबन्धक(प्रथम)

**लखनऊ** 2/4/2016



- (ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- (7) उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़को, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी,जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या 9D/GH-1) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 18% (अट्वारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सिहत पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।
- (8) पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगी और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वधा अनुसरण करेगी।
- (9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या— 9D/GH-1 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

कमशः ५ पर

क्रेता

विक्रेता

#### विक्रय पत्र

118,959,964.00 /

5,118,960,000.00

20,000,00

60 20,060.00 20

प्रतिफल

**मा**लियत

नकल व प्रति शुल्क

पृष्ठों की संख्या

श्री

मे, ओमनी फार्म्सप्राO लिO द्वारा अधिO ह, वृजे

पुत्र श्री

तीरथ राज सिह

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी द्वितीय. तल एल्डिको कारपोरेट विमृतिखन्ड गॉमती निगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 2/4/2016

निप्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकर्ण अधिकारी के हस्ताक्षर उप निब्नुन्धक(प्रथम)

लखनऊ

2/4/2016

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 क्व0 प0 द्वारा डा0 अनिल कुमार उप आ0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थित और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री में, ओमनी फार्म्सप्रा0 लि0 द्वारा अधि0 है कुमार सिह

पुत्र श्री तीरथ राज सिह

पेशा नौकरी

निवासी द्वितीय. तल एल्डिको कार

गोमती नगर लखनऊ





- (10) केता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शतों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शतों के अधीन होंगे।
- (11) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्ते जो समय—समय पर लागू हो, मान्य होगी।

जिसके साक्ष्य में श्री डा॰ अनिल कुमार, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मैसर्स ओमनी फमर्स प्राइवेट लिं० द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह आशयिता संख्या 9D/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने—अपने हस्ताक्षर किये। नोटः—(1) ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल विक्रीत मूल्य रू० 262533711.00 के सापेक्ष फर्म द्वारा परिषद कोष में सब्याज पूर्ण भुगतान कर किया गया है।

नोट:—(2) यह कि विक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में किराया के अनुबन्ध व कब्जा विलेख दिनांक 20-10-2010 के समय विक्रीत भूमि 44609-67 स्क्वायर मीटर पर सर्किल दर से निर्धारित मालियत कि 511895964.00 पर 7% की दर से रू० 35832800.00 स्टाम्प, शुल्क के रूप में अदा किया जा चुका है। जो कि उप निबन्धक (प्रथम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 20/10/2010 को बही सं० 1 जिल्द सं० 12053 पृष्ट सं० 303 से 348 पर कमांक 17353 पर पंजीकृत है इस प्रकार विक्रीत सम्पत्ति की मालियत पर कब्जे से पूर्व पूर्ण स्टाम्प शुल्क अदा किया जा चुका है एवं सम्पत्ति का कब्जा सम्बन्धित को हस्तगत कराया जा चुका है। अतः अब मात्र रू० 100.00 मूल्य पर उक्त विक्रय विलेख निष्पादित्र किया जा रहा है।

कुमशः ६. पर

केता

विकेता

### क्रेता

Registration No.:

6162

Year:

2,016

Book No.:


1

0201 मे, ओमनी फार्म्सप्रा0 लि0 द्वारा अधि0 ह, बृजेन्द्र कुमार सिह

द्वितीय. तल एल्डिको कारपेएरेट विभूतिखन्ड गोमती नगर लखनऊ नौकरी







### . अनुसूची "क" विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 9D/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 44609.67 वर्ग मीटर

सीमाऍ:-

उत्तर-24.00 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण- 6.00 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण- 18.00 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम- 24.00 मीटर चौड़ी सड़क उत्तर-संलग्न साइट प्लान के अनुसार दक्षिण- संलग्न साइट प्लान के अनुसार पूर्व- संलग्न साइट प्लान के अनुसार पश्चिम- संलग्न साइट प्लान के अनुसार

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर १००० 2-नाम 3-पता २००० :

विकेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षीः1-हस्ताक्षर

2-नाम

3-पता

afer JAD.

1-साक्षी:1-हस्ताक्षर / Pageshwar Duin 2-नाम Jageshwar Duin 3-पता 20-22 Seton 6:

Dankapaosan MO

उप आवास आयुक्त

( कृते आवास आयुक्त) विक्र

केता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षीः1-हस्ताक्षर

2-914 L. Haly

1 539K 613

rivehi Nager I

1–हस्ताक्षर

2—नाम मैसर्स ओमनी फार्म्स प्राइवेट
लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री बृजेन्द्र
कुमार सिंह पुत्र श्री तीरथ राज सिंह
पता:—जिसका पंजीकृत कार्यालय
201—212, द्वितीय तल, स्पलेन्डर फोरम,
जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली—110025,
कार्पोरेट आफिस—द्वितीय तल, एल्डिको
कारपोरेट चेम्बर—प्रथम विभूति खण्ड,गोमती
नगर, लखनऊ—226010

योजना सहायक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ मो० एखलाक Registration No.:

6162

Year:

2016

Book No.:

1

WI जागेश्वर द्विवेदी

स्व0 एस0 आर0 द्विवेदी

एमआईजी 23 से0 जी0 जानकीपुरम ळखनऊ

नौकरी -



W2 मो0 एखलाक योजना सहा0 आ0 वि0 प0

भौकरी .





# OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D. – 3 U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD OFFICE COMPLEX, III FLOOR,


OFFICE COMPLEX, III FLOOR, 9A, VRINDAVAN SCHEME No.-2, PART-2, LUCKNOW.

SITE PLAN OF PLOT/HOUSE No.9-D/G.H-1 SECTOR-9-D AT VRINDA VAN YOJNA No.2/4, LUCKNOW.

OWNER SRI. /SMT. ओसनी फार्स प्रा० लि०

PLOT SIZE ----

PLOT AREA-44,603.6750Mc



DAMAN

Raviulle

A.E.

क्रता

<u> विक्रेता</u>

आज दिनांक <u>02/04/2016</u> को **a** वहीं सं <u>1</u> जिल्द सं <u>20576</u>

पृष्ठ सं <u>305</u> से <u>324</u> पर कमांक <u>6162</u>

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

्रिजस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.बी.सिंह

उप निब्रन्धक (प्रथम)

लखनऊ

2/4/2016